



प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 13 नवम्बर, 2025

विषय:- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री प्लान/934/2025-26, दिनांक 25.09.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रदेश के नवनिर्मित 46 राजकीय महाविद्यालयों में प्रति महाविद्यालय 01 स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-07-प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना-42-अन्य व्यय" में प्राविधानित धनराशि ₹0 500.00 लाख के सापेक्ष ₹0 409.86 लाख (₹0 चार करोड़ नौ लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त कर आपके निर्वर्तन पर रखने व व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा डी0डी0ओ0 कोड के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- (4) अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तरदायी होगा।
- (5) प्रश्रुत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के विषय में उच्च शिक्षा निदेशालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण करते हुए तथा सुसंगत नियम एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, उच्च शिक्षा का होगा।
- (6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जायेगा जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (8) उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु उपकरणों/सामग्री का क्रय हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं 15.01.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा निदेशालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,09,86,000 (रुपये चार करोड़ नौ लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 4202012030700 प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
गिरिजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 3- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/उच्च शिक्षा अनुभाग-4
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार द्विवेदी
अनु सचिव।